भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1230

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी स्टार्टअप

1230. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लाभान्वित शहरी स्टार्टअप्स की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के चिन्हित शहरों में इन योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने और पहुंच बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त शहरों में और विशेष रूप से गैर-तकनीकी क्षेत्रों में वित्तीय रूप से समर्थित स्टार्टअप का क्षेत्रवार वितरण क्या है और उनके माध्यम से कितने रोजगार उत्पन्न किए गए हैं;

(ङ) क्या इन शहरों में साधारण लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने में स्टार्टअप्स के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं और सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(छ) इन स्टार्टअप्स के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और उनकी प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ, वर्ष 2021-22 से 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। यह स्कीम, पात्र स्टार्टअप्स को अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप के विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित इन्क्यूबेटर स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। 1 अप्रैल, 2021 से एसआईएसएफएस कार्यान्वित है।

31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत 902.74 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत निधि के साथ 213 इन्क्यूबेटरों का चयन किया गया है और एसआईएसएफएस के तहत अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने 2,622 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए चयनित किया है।

विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार एसआईएसएफएस के तहत चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा 2.03 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के लिए 18 स्टार्टअप का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 3 वर्षों अर्थात 2022, 2023 और 2024 के दौरान चयनित इन्क्यूबेटरों से सहायता प्राप्त स्टार्टअप का जिले-वार विवरण निम्नानुसार है:

जिला	2022		2023		2024	
	इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप की संख्या	इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप को अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपए में)	इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप की संख्या	इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप को अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपए में)	इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप की संख्या	इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप को अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपए में)
बिलासपुर	1	0.2	-	-	1	0.00
दुर्ग	-	-	2	0.42	4	0.34
रायपुर	1	0.12	3	0.44	4	0.35
राजनांदगांव	-	-	-	-	1	0.06
कुल	**2**	**0.32**	**5**	**0.86**	**10**	**0.75**

स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का उद्देश्य, पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआई)], जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधक-रहित ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों जैसे पात्र ऋणप्राप्तकर्ता की सहायता की जा सके। सीजीएसएस, 1 अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित की गई है। 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप ऋणप्राप्तकर्ताओं हेतु 601.86 करोड़ रुपए की राशि के 257 ऋणों की गारंटी दी गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से कोई लाभार्थी नहीं है।

(ख) से (च): सरकार, स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगार (स्व-संसूचित) संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव करती है। स्टार्टअप इंडिया पहल के भाग के रूप में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 1,57,706 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार 17.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की सूचना प्रदान की है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में, डीपीआईआईटी ने 1,736 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिन्होंने 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की सूचना प्रदान की है।

इन स्कीमों के कार्यान्वयन के दौरान पहुंच, अपनाने, जागरूकता और क्षमता निर्माण के कुछ पहलुओं का समाधान करने के लिए, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत एसआईएसएफएस और सीजीएसएस

सहित सभी कार्यक्रम और स्कीमें, विशिष्ट आउटरीच और कवरेज का विस्तार करने के लिए किए गए जागरूकता उपायों के साथ, अखिल भारतीय आधार पर लागू की जाती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। ऐसे उपायों में, अन्य के साथ-साथ, क्षमता निर्माण और सहायता, ईकोसिस्टम का विकास और अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज शामिल हैं। ऐसे उपायों का ब्यौरा **अनुबंध-I में दिया गया है।**

(छ) : एसआईएसएफएस के तहत विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन और मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी है। इस स्कीम के तहत ईएसी, निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है। प्रत्येक चयनित इन्क्यूबेटर में एक इन्क्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) है, जिसमें वे विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित कुछ मापदंडों (https://dpiit.gov.in/startup-india/startup-india- initiative पर ऑनलाइन उपलब्ध) के आधार पर स्टार्टअप का मूल्यांकन और चयन करते हैं।

सीजीएसएस के तहत प्रबंधन समिति (एमसी) सीजीएसएस की कार्यप्रणाली की समीक्षा, पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी है। एमसी को इस स्कीम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है। एमआई, विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णयों के आधार पर ऋण संबंधी आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करने में अपने व्यवसायगत विवेक/सतर्कता का उपयोग करते हैं और सामान्य बैंकिंग विवेक के आधार पर ऋणप्राप्तकर्ताओं के खाते (खातों) का संचालन/मॉनीटरिंग करते हैं, जो स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है, जो कि निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध है :-

https://www.ncgtc.in//content/products//0/17006361501621850 81.pdf

*****

अनुबंध-I

दिनांक .1102.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध (च) से (ख) के भाग 1230

एसआईएसएफएस और सीजीएसएस सहित स्टार्टअप इंडिया पहल के लाभ प्रभावी रूप से देशभर के स्टार्टअप तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों का ब्यौरा:

1. **क्षमता निर्माण और सहायता**

क्षेत्रीय इकोसिस्टम का विकास करने के लिए और उन्हें स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्कीमों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग ('एसआरएफ') कार्यक्रम के तहत गैर-मेट्रो शहरों सहित सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विभिन्न हितधारकों के लिए मॉनीटरिंग, क्षमता विकास और हैंडहोल्डिंग सत्र भी विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से इन्क्यूबेटरों के लिए, वित्तपोषण प्रदान करने, स्टार्टअप्स की प्रगति की मॉनीटरिंग करने और एसआईएसएफएस के तहत विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से स्टार्टअप के सहायता प्रदान करने की क्षमता शामिल है। सीजीएसएस के तहत ऋणदाताओं की क्षमता निर्माण और पहुंच को बढ़ाने की दृष्टि से, संदेहों का स्पष्टीकरण करने के लिए और स्कीम के तहत ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए वर्चुअली और साथ ही वास्तविक रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। स्टार्टअप्स के लिए, क्षमता निर्माण में कई पहलू शामिल हैं, जैसे उनके समग्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों का एक्सपोजर निहित है, जिसमें व्यावसायिक प्रस्तावों का विकास, पिचिंग, उत्पाद विकास, बाजार पहुंच आदि शामिल हैं।

2. **आउटरीच और जागरूकता**

महानगरों से बाहर के क्षेत्रों सहित देश भर में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच और जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यकलापों में गैर-महानगरीय शहरों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और एसआईएसएफएस और सीजीएसएस ,इनक्यूबेशन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के सहयोग से मेंटरशिप और बिजनेस लिंकेज जैसी स्कीमों के माध्यम से वित्त पोषण के अवसरों को सक्षम बनाना शामिल है। विभिन्न स्टार्टअप शोकेस भी आयोजित किए जाते हैं जहां स्टार्टअप, निवेशकों को अपने व्यावसायिक प्रस्ताव पेश करते हैं और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में भाग लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लागू किए गए कार्यक्रमों और स्कीमों का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

3. **इकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम**

विभिन्न राष्ट्रीय इकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे स्टार्टअप महाकुंभ, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से इकोसिस्टम को एक साथ लाकर नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है; क्षेत्र के उभरते उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में स्टार्टअप और उद्यमिता पर असेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर और एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; और उद्यमिता की सराहना करने और पूरे भारत के हितधारकों के साथ नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित किया जाता है।

4. इकोसिस्टम में सहयोग को प्रोत्साहित करना

सरकार ने भारत में उद्यमिता इकोसिस्टम के हितधारकों के लिए स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संसाधन, सूचनाएं और विभिन्न लाभ प्राप्त किए जा सकें। यह पोर्टल गैर-मेट्रो शहरों और क्षेत्रों से भी उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए पहुंच में सुधार करते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों तक डिजिटल रूप से पहुंच को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, सरकार ने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) की शुरुआत की है, जो उद्मिता इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के मध्य सहयोग को केंद्रीकृत करने, सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है, जो गैर-मेट्रो शहरों और क्षेत्रों के स्टार्टअप और उद्यमियों को वृहद स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने में सक्षम बना रहा है।

*****